राजस्थान स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसायटी

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

(स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर, राजस्थान)
(फोन नं. 0141-2225532, 2222452 फैक्स नं. 0141-2221792)

क्रमांक : एड्स/बेसिक सर्विस (76)/2017/3077 दिनांक :- 27-9-17

प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, ...
अधीक्षक, ...
प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, ...
चिकित्सा अधिकारी प्रभारी,
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ....

विषय :- प्रवासियों हेतु आयोजित किये जाने वाले हैल्थ कैम्प हेतु किट्स सप्लाई बाबत्।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देशानुसार राज्य के उच्च प्रवासन वाले 10 (जालौर,भीलवाडा,उदयपुर,चित्तौडगढ,डूंगरपुर,राजरागन्द,जोधपुर,बांसवाडा,पाली,सिरोही) चिन्हित जिलों में दशहरा एवं दीपावली के अवसर पर अधिकाधिक संख्या में अपने मूल निवास पर लौटने वाले प्रवासियों को दिनांक 09 अक्टूबर 2017 से 18 अक्टूबर 2017 तक स्वास्थ्य शिविर के जरियें ग्रामीण/शहरी क्षेत्र में स्वास्थ्य संबंधी सुविधायें (यौन रोग निदान/एच.आई.वी. परामर्श एवं जांच की सुविधा) हैल्थ कैम्प के माध्यम से उपलब्ध करवायी जानी हैं जिसके लिए पूर्व में ही इस कार्यालय द्वारा आदेश प्रदान किये जा चुके है।

उक्त हैल्थ कैम्पों में निम्न विन्दुओं की पालना परामर्शदाता एंव लैब टेक्नीशीयन/लैब सहायक से कराया जाना सुनिश्चित करावें।

1. जिन केन्द्रों पर टेस्ट किट्स उपलब्ध नहीं है वहां के आईसीटीसी/पीपीटीसीटी/एसटीआई परामर्शदाता/लैब टेक्नीशीयन/लैब सहायक इस कार्यालय से अतिशीघ्र टेस्ट किट्स ले जावें।
2. प्रत्येक कैम्प में जो व्यक्ति एचआईवी पोजिटिव चिन्हित् किये गये है उनकी आईसीटीसी पर पुनः तीनों टेस्ट किट्स से जांच करें व पुनः एचआईवी पोजिटिव आने पर उसकी लाईन लिस्ट तैयार कर एआरटी सेन्टर पर पंजियन कराया जाना सुनिश्चित करावें। संलग्न लाईनलिस्टिंग
3. जिस कैम्प में व्यक्ति एचआईवी पोजिटिव आया है उसी कैम्प के परामर्शदाता/लैब टेक्नीशीयन की पूर्ण जिम्मेदारी रहेगी कि संबंधित व्यक्ति को आईसीटीसी/पीपीटीसीटी पर पुनः जांच कर, एआरटी सेन्टर पर पंजियन कराया जाना सुनिश्चित करावें।
4. प्रत्येक कैम्प में जांच हेतु जो व्यक्ति रेफर (FSW, MSM, IDU, Migrant, Trackers, ANCs, STI, RNTCP) किया गया उसकी मासिक रिपोर्ट में भी उसी प्रकार एन्ट्री होगी जिस प्रकार आईसीटीसी/पीपीटीसीटी में पूर्व से करते आये है।
5. प्रत्येक कैम्प की रिपोर्ट को पीआईडी नम्बर सहित आईसीटीसी/पीपीटीसीटी के सभी रजिस्टरों में इन्द्राज करावें।
6. एचआईवी टेस्ट किट की रिपोर्ट स्टॉक रजिस्टर एवं लैब रजिस्टर में इन्द्राज करनी हैं साथ ही कैम्प हेतु ले जाई गई किट्स का इन्द्राज भी पूर्व की भांति आईसीटीसी/पीपीटीसीटी पर करना है।
7. कैम्प के एचआईवी संक्रमित की लाईन लिस्ट, भविष्य में होने वाली रिव्यू मिटिंग में पृथक से बना कर लाने हेतु निर्देशित करें।

(डॉ. एस.एस.चौहान)
परियोजना निदेशक

क्रमांक :- एड्स/बेसिक सर्विस (76)/2017/ दिनांकः-

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य व परिवार कल्याण एवं चेयरमैन, राजस्थान स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसायटी, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक (टीआई), राजस्थान स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसायटी, जयपुर।
3. समस्त स्टेट नोडल अधिकारी, राजस्थान स्टेट एड्स कन्ट्रोल सोसायटी, जयपुर।
4. मुख्य/उपमुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य) सम्बन्धित कैम्प जिले।
5. जिला कार्यक्रम मैनेजर।
6. कार्यालय प्रति।

परियोजना निदेशक

Scanned by CamScanner